न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
राजस्व लोक अदालत शिविर–आमली
पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–43 / 2016 रे0वाद
अन्तर्गत धारा :–183 आर.टी.ए.

उनवान प्रकरण

1. श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नी नारायणलाल तेली निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. राजु पिता छोगा कुम्हार निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मण पिता छोगा कुम्हार निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा

प्रतिवादीगण

–:निर्णय :–

दिनांक :–05.06.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया द्वारा एक वादपत्र अंतर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम आमली पटवार हल्का आमली तहसील सहाड़ा के खाता संख्या 3 में वादिया के खातेदारी हक की आराजी संख्या 3109 रकबा 0.33 हैक्टयर व 3105 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.52 हे0 भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किये जाने का प्रार्थना पत्र न्यायालय गंगापुर में प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 149 / 12 पर दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 05.03.2013 द्वारा पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित किया गया। आदेश की पालना में दिनांक 26.04.2014 को पत्थरगढ़ी की जाकर पर्चा मौका मुर्तिब किया गया जिसमें वादिया की खातेदारी आराजी 3105 की पूर्वी मेड़ पर क्रमशः उतरी पूर्वी कोने पर 6 मीटर व दक्षिणी पूर्वी कोने पर 5 मीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा पाया गया, जिससे प्रतिवादीगण का कब्जा मौके से हटाया जाकर वादिया को कब्जा सिपुर्द कराया जावे व प्रतिमाह 5000 / – रू. हर्जाना दिलाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रकरण के उभय पक्षकार दिनांक 16.05.2016 केम्प आमली में उपस्थित हुए व प्रकरण में राजीनामा पेश किया। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केम्प आमली में दिनांक 05.06.2017 को पुनः पेश होने पर, पत्रावली पर पूर्व में किये गये राजीनामें के आधार पर निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि वादिया के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 3105 के कुंछ हिस्से पर प्रतिवादीगण का कब्जा है और प्रतिवादीगण पत्थरगढ़ी अनुसार पाये गये कब्जे को छोड़नें हेतु राजीनामें से तैयार है, जिससे वादिया का वाद प्रमाणित होकर स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः

:: आदेश ::

वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट बाबत् दिलाये जाने कब्जा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादिया के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 3105 रकबा 0.19 हे0 भूमि के पूर्वी मेड़ पर क्रमशः उतरी पूर्वी कोने पर 6 मीटर एवं दक्षिणी पूर्वी कोने पर 5 मीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अवैध कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादिया को सिपूर्द किया जावे। तद्नुसार तहसीलदार सहाड़ा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत शिविर, आमली

पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–43/2016 रे0वाद

निर्णय दिनांक 05.06.2017

उनवान प्रकरण

1. श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नी नारायणलाल तेली निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. राजु पिता छोगा कुम्हार निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मण पिता छोगा कुम्हार निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

वादीगण की ओर से ———————— एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से ———————— एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.06.2017 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ——×—— और इस वाद के खर्च लेखे ——×—— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ——×—— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ——×—— द्वारा ——×—— को दी जाए।

अतः वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट बाबत् दिलाये जाने कब्जा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादिया के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 3105 रकबा 0.19 हे0 भूमि के पूर्वी मेड़ पर क्रमशः उतरी पूर्वी कोने पर 6 मीटर एवं दक्षिणी पूर्वी कोने पर 5 मीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अवैध कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादिया को सिपूर्द किया जावे। तदनुसार तहसीलदार सहाड़ा को लिखा जावे।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)

सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)